(भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1, में प्रकाशनार्थ)

एफ सं– 9-48/2005-यू. 3

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 15 फरवरी,2019

**अधिसूचना**

**जबकि,** केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, उच्चतर शिक्षा संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि**, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर अपने दिनांक 19 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 9-48/2005- यू.3 के जरिए विग्नान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान फाउंडेशन, वदलामुडी, जिला गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश को 5 वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. **और इसके अतिरिक्त जबकि**, यूजीसी द्वारा विग्नान विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान फाउंडेशन, वदलामुडी, जिला गुंटूर आंध्र प्रदेश के कार्यकरण की 9-11 अक्टूबर, 2017 के दौरान अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से समीक्षा की गई थी। इस मंत्रालय के निर्देशानुसार, संस्थान की 27-29 सितंबर, 2018 के दौरान पुन: समीक्षा की गई थी। यूजीसी विशेषज्ञ समिति में विग्नान विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान फाउंडेशन, वदलामुडी, जिला गुंटूर आंध्र प्रदेश को समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश करते हुए, निम्नलिखित कमियां बताई हैं:-

(क) समविश्वविद्यालय का एच-इंडेक्स अपेक्षाकृत काफी कम है।

(ख) संस्था में वरिष्ठ संकाय की कमी है।

(ग) 195 क्रेडिटों वाली पाठ्यचर्या अतिभारित है और स्व अध्ययन की गुंजाइश बहुत कम है।

(घ) प्रयोगशालाओं को उन्नत उपकरणों के साथ अपग्रेड किया जाना है।

(ड.) शिक्षण में नवाचार की कमी है।

(च) छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(छ) परिसर में आवास का उपलब्ध नहीं होना।

4. **और जबकि,** आयोग द्वारा यूजीसी विशेषज्ञ रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे 14 नवंबर, 2018 को आयोजित अपनी 536 वीं बैठक (मद सं. 2.03) में अनुमोदित किया गया था।

5. **अब, इसलिए** केंद्र सरकार एतद् द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, विग्नान विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान फाउंडेशन, वदलामुडी, जिला गुंटूर आंध्र प्रदेश के समविश्वविद्यालय दर्जे को निम्नलिखित शर्तों के साथ 19 दिसंबर, 2013 से 30 जून, 2021 तक आगे बढ़ाती है:

I. संस्था एच-इंडेक्स और राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद (एनएएसी) के अपने सीजीपीए स्कोर के साथ-साथ एनआईआरएफ रैंकिंग में सुधार करेगी।
II. समविश्वविद्यालय संस्था संबंधित विषयों में वरिष्ठ स्तर संकाय (प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर) की भर्ती करेगी।
III. समविश्वविद्यालय संस्था पाठ्यचर्या का भार कम करेगी।
IV. समविश्वविद्यालय संस्था अपनी प्रयोगशालाओं को उन्नत उपकरणों से अपग्रेड करेगा।
V. समविश्वविद्यालय संस्था छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाएं प्रदान करेगा।
VI. समविश्वविद्यालय यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्दिष्ट सुझावों/कमियों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के समय-समय पर जारी किए गए नियमों/विनियमों का विग्नान

विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान फाउंडेशन, वदलामुडी, जिला गुंटूर आंध्र प्रदेश द्वारा पालन किया जाएगा।

(ईशिता रॉय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23381721

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
मिंटो रोड, नई दिल्ली- 110002

प्रति अग्रेषित:-

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए समाप्ति की अवधि के भीतर अर्थात् 30 जून, 2021 से आगे विग्नान विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान फाउंडेशन, वदलामुडी, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश के समविश्वविद्यालय दर्जे को आगे बढ़ाने संबंधी परामर्श दें।
2. कुलपति, विग्नान विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान फाउंडेशन, वदलामुडी, जिला गुंटूर आंध्र प्रदेश।
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070
4. सचिव, भारतीय फार्मेसी परिषद (पीसीआई), पोस्ट बॉक्स नं.7020, संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोड, एवान-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली- 110002
5. प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा), आंध्र प्रदेश सरकार, जे. ब्लॉक, चौथा तल, हैदराबाद आंध्र प्रदेश
6. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू सदन, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली- 110002

8. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस यूनिट अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्रत प्रधान

(सुब्रत कुमार प्रधान)

उप-सचिव, भारत सरकार